राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर – 110/2022

पेपसिंह पुत्र जोर सिंह जाति राजपूत निवी ढाणी बाढान तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.... प्रार्थी

ब–ना–म

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.............अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती नक्शा</u>
<u>अ0धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956</u>

–: निर्णय :– **दिनांक : 12–09–2022**

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थी ने वाके ग्राम जसरापुर तहसील खेतड़ी स्थित खसरा नंबर 343 रकबा 2.52 है. में अपने हक व हिस्सा 0.22 है. का खाता विभाजन करवाया था तथा उक्त भूमि में प्रार्थी हिस्सा सम्पूर्ण का खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा प्रार्थी उक्त भूमि पर काबिज रहकर काश्त कर रहा है। प्रार्थी की उक्त भूमि के हाल नक्शा को निर्णय व डिक्री दिनांक 20.11.2019 के अनुसार नहीं बनाया गया है तथा हाल नक्शा ट्रेस में प्रार्थी की उक्त भूमि की पूर्वी भुजा को गलत दर्ज किया गया है तबा प्रार्थी के हक व हिसरो में ज्यादा भूमि दर्शित कर दी है जबकि प्रार्थी की 0.22 है. भूमि ही है और इसका ही नक्शा ट्रेस दुरूस्त करवाना चाहता है। खाता विभाजन के पश्चात् प्रार्थी ने अपने हक व हिस्से की भूमि कुल 0.22 है. में से भूमि रूपान्तरण करवाकर खसरा नंबर 2870/2867 रकबा 0.05 है. भूमि आवासीय में तथा खसरा नंबर 2882/2871 रकबा 0.0090 है. भूमि वाणिज्यिक दर्ज करवाली थी। इस प्रकार प्राथर्सी अपनी भूमि की पूर्वी भुजा को दुरूस्त करवाना चाहता है। हाल नक्शा ट्रेस में प्रार्थी की भूमि का नक्शा निर्णय व डिक्री दिनांक 20.11.2019 के अनुसार नहीं बनने से प्रार्थी को भारी हकतलफी है। इसलिए प्रार्थी हाल नक्शा ट्रेस में गलत दर्ज पूर्वी भुजा को निर्णय व डिक्री दिनांक 20.11.2019 के अनुसार दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। इसलिए प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:34:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी. खेतड़ी

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की भूमि के हाल नक्शा ट्रेस में प्रार्थी के हक व हिस्से की भूमि खसरा नंबर 343/2 रकबा 0.22 है. की गलत दर्ज पूर्वी भुजा को निर्णय व डिक्री दिनांक 20.11.2019 के अनुसार दुरूस्त किये जाने के आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार, खेतड़ी ने जरिये पत्रांकः राजस्व/2022/116 दिनांक 17–05–2022 से बिन्दुवार रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो निम्नानुसार है कि :–

1. मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2073–2076 के खाता संख्या 771 किता–3 रकबा 0.1972 है. पेपसिंह पुत्र जोरसिंह जाति राजपूत सा. ढाणी बाढ़ान के नाम दर्ज रिकार्ड है।
2. उक्त भूमि की राजस्व रिकार्ड नक्शा व मौका स्थिति नजरी नक्शानुसार है।
3. राजस्व रिकार्ड (नक्शा) में दर्ज प्रविष्टि सहवन से गलत दर्ज हुई है जिसके स्थान पर प्रस्तावित प्रविष्टि दर्ज होनी चाहिए थी।
4. नियमानुसार पटवारी रिपोर्ट मुताबिक मौका स्थिति के जिस पर चार दिवारी बनी हुई है। उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड (नक्शा) में तरमीम शुद्ध किया जाना उचित है।

तहसीलदार, खेतड़ी ने उक्त रिपोर्ट के साथ पटवारी हल्का जसरापुर की मूल रिपोर्ट भी संलग्न कर भिजवाई है।

प्रार्थी ने साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत् 2073–2076 खाता सं. 771 ग्राम जसरापुर, नकल नक्शा किश्तवार, फोटो प्रति मुकदमा नंबर 83/2019 उनवानी पेपसिंह बनाम जितेन्द्र कुमार आदि बाबत खाता विभाजन निर्णय व डिक्री दिनांक 20.11.2019 (प्राथमिक) व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 15–09–2020 मय विभाजन प्रस्ताव के पेश किये गये हैं।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया तथा राजस्व रिकार्ड का आद्योपान्त परीक्षण किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा पेश राजस्व रिकार्ड, फोटो प्रति [illegible] निर्णय व डिक्री दिनांक 15–09–2020 एवं विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से साबित है कि विवादग्रस्त भूमि का खाता विभाजन प्रस्ताव व नक्शा विधिवत् रूप से पक्षकारान/प्रार्थी की उपस्थिति में ही पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त जसरापुर द्वारा तैयार किये गये थे तथा बाद तैयार

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:34:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

विभाजन प्रस्ताव व नक्शे पर प्रार्थी ने सही होना स्वीकार कर सहमति के हस्ताक्षर किये हैं। अब प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये वादग्रस्त भूमि के नक्शे को गलत बताकर दुरूस्त करवाना चाहता है जो विधिसम्मत् नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक राजस्व रिकार्ड के स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है लिहाजा

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती नक्शा साबित नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12–09–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:34:10 IST
Reason: SelfAttested